

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर मुकाम अलवर
मेहरचन्द बनाम अनिल वर्मा वगैरा

किसम मुकदमा दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट मु० नं० 188/2024 सन -2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
05.02.2024	<p>दावा वकील वादी श्री अजीत कुमार यादव विद्वान एडवोकेट ने उपस्थित होकर प्रस्तुत किया, दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 06-03-2024 को पेश हो।</p>	<p>6/2/24</p> <p>88</p> <p>9/2/24</p>
6-3-24	<p>उप खण्ड अधिकारी अलवर</p> <p>पत्रावली देकर जुरे जुरी/वकील वादी को उपर पेश हुआ पत्रावली जुरे जुरी/वादी पत्रावली दि० 9-3-24 को पेश है।</p>	<p>Not Press</p> <p>6/3/2024</p>
9-3-24	<p>उपखण्ड अधिकारी अलवर</p> <p>पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना ले देकर जुरे जुरी/वकील वादी को उपर प्रस्तुत कर विवेक किया है कि हमारे विवेक-पत्रावली में वाद प्रस्तुत कर दिया है जो कि प्राथमिक-पत्रावली है इसलिए उक्त वाद को जारी नहीं पत्रावली पत्रावली है उक्त वाद को खारिज करना-पत्रावली हमारे वादी/वकील वादी को जुरा/जुरी के अग्रत वादी को उपर लीकार किया जाकर वाद वादी को उक्त से इन्ही तरह पर खारिज किया जाता है पत्रावली नकार ले कर ही वाद तकनीक पत्रावली तारिकल दफ्तार है।</p>	<p>I d. Ans 2024</p>

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
अलवर (राज०)

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
अलवर (राज०)

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
अलवर (राज०)